उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

:: <u>डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 की प्रतीक्षा सूची सम्बन्धी सूचना</u>::

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2017 को आयोजित डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2016 के आधार पर शासनादेश सं0 : 1657/XXIV(1)/2016-11/2005 Vol II शिक्षा अनुभाग– 1 (बेसिक), दिनांक 02 नवंबर 2016 में दी गई व्यवस्था एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : प्रा0शि0/दो(2)/17828/182/2017–18 दि0 10 अक्टूबर 2017 के क्रम में प्रत्येक वर्ग/श्रेणी में 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। **प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होगा, प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को काउँसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा।** अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। जिन अभ्यर्थियों के नाम इन सूचियों में अंकित हैं, वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ओ0एम0आर0 अवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में **त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य अंकित करने के कारण उसका नाम प्रतीक्षा सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल/अभ्यर्थन निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय होगी।**

प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउँसिलिंग का आयोजन किया जाएगा। **काउँसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा यथा समय सूचना दी जाएगी।** कॉउसिलिंग **में प्रतिभाग करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि–**

1. जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 19 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उच्च आयु सीमा में छूट) से अधिक न हो।
2. उत्तराखण्ड राज्य के **मूल/स्थाई निवासी हों।**
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (27 अक्टूबर 2016) से पूर्व **स्नातक योग्यता प्राप्त कर ली हो।**
4. आवेदन की अंतिम तिथि (30 नवंबर 2016) तक **सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण/ नवीनीकरण हो** (सेवारत अभ्यर्थियों के मामले में अनापत्ति प्रमाण–पत्र)।
5. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **जाति प्रमाण–पत्र** हो।
6. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में–
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो, जिनसे उनके **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित** होने की पुष्टि हो सके।
   - विकलांगता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास **विकलांगता का** सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो।
   - भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति संबंधी अभिलेख (कमांडिग आफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हों जिनसे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित करलें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हों। विज्ञ हों कि **इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है उनके आश्रितों को नहीं।**

काउँसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में संम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी।

23/X/17

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्